



भारत का राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

II— (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

PUBLISHED BY AUTHORITY

227]

No. 227]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2015/CHAITRA 23, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 2 मार्च, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 283(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार के परामर्श से विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 (03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.1/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:—

ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलायेंगे।

वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम में संशोधन:—विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 (03 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.1/2000-आरबी) में, विनियम 4 में, उप-विनियम (बी) में,

मौजूदा "स्पष्टीकरण" को क्रमांक (i) दिया जाएगा और

निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

“(ii) चिट फंड के रजिस्ट्रार अथवा राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, किसी चिट फंड को किसी अनिवासी भारतीय से अभिधान स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है। अनिवासी भारतीय व्यक्ति बैंकिंग चैनल से और अप्रत्यावर्तनीय आधार पर, समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, बिना किसी सीमा के ऐसे चिट फंड में अभिधान करने के लिए पात्र होगा।”

[सं. फेमा./337/2015-आरबी]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबन्धक

पाद टिप्पण : मूल विनियमावली 5 मई, 2000 के सा.का.नि. सं. 384(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग , खंड 3,

उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:—

सा.का.नि. सं. 207(अ) 23 मार्च, 2004

सा.का.नि. सं. 14(अ) 5 जनवरी, 2008

सा.का.नि. सं. 551(अ) 14 अगस्त, 2013

सा.का.नि. सं. 488(अ) 11 जुलाई, 2014

rd

अधिसूचना

मुम्बई, 2 मार्च, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 284(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) एवं धारा-47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (03 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 5 में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (03 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में अनुसूची 5 में, पैराग्राफ 2 में, उप-पैरा (2) के बाद,—

“भारत से बाहर का निवासी किसी व्यक्ति” को शामिल और “सामान्य बैंकिंग चैनलों से किए जा सकने वाले” पैराग्राफ 2A को पैराग्राफ 2B के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा।

पैराग्राफ 2B के बाद निम्नलिखित नाम उप-पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

“(2C) कोई अनिवासी भारतीय चिट फंड के रजिस्ट्रार अथवा राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत चिट फंड में बिना किसी सीमा के और अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अभिधान कर सकता है, बशर्ते ऐसे अभिधान सामान्य बैंकिंग चैनल से किए जाएँ।”

[सं. फेमा./338/2015-आरबी]

वी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबन्धक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली 8 मई, 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग , खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:—

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001

सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002

सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001

सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002

सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001

सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003